आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-I) का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (IMPORT-I)
नवीन सीमाशुल्क भवन, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-400001.
NEW CUSTOMS HOUSE, BALLARD ESTATE, MUMBAI–400001.
फोन- 02222757717, मेल- hindimumbaizone1@gmail.com

फाइल संख्या **GEN/HIN/1/2/2020-A/M** दिनांक: 25-11-2025

(अक्टूबर से दिसंबर-2025 की तिमाही, 61वीं बैठक)

विषयः- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त
Subject: The minutes of the meeting of Official Language Implementation Committee (OLIC)

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक, दिनांक 29.10.2025 को शाम 04:30 बजे श्री प्रद्युम्न त्रिपाठी, आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-I) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण इस प्रकार है।

क्रमांक	अधिकारीगण के नाम (श्री/श्री मती/सुश्री)	पदनाम	आयुक्तालय/विभाग
01	अर्शदीप सिंह	संयुक्त आयुक्त	आयात–I/राजभाषा
02	दीपिका कार्तिक तांगड़कर	संयुक्त आयुक्त	आयात–I
03	कृष्णा एस. नाईक	उप आयुक्त	आयात–I
04	कीर्तिकुमार एन. परमार	सहायक आयुक्त	आयात–I/राजभाषा
05	राधा अरविंदाक्षन	सहायक आयुक्त	आयात–I
06	रोजा फर्नांडिस	सहायक आयुक्त	आयात–I
07	चंद्र अ. राजपाल	मूल्य निरूपक	आयात-I
08	दीपक कुमार	मूल्य निरूपक	आयात-I
09	तरुणा मिश्रा	अधीक्षक	आयात–I

अध्यक्ष महोदय की अनुमति के उपरांत सदस्य सचिव श्री कीर्तिकुमार एन. परमार, सहायक आयुक्त/राजभाषा ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरंभ की। बैठक का मिनट दर मिनट वृत्तांत इस प्रकार है।

2-OLIC की पिछली बैठक (24.07.2025) में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति:
राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) पिछली बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इन निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण निम्नलिखित है।

2.1-हिन्दी टिप्पणी बढ़ाने के लिए आदेश जारी करना
पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में एक कार्यालय आदेश (फाइल संख्या GEN/HIN/9/48/2022-A/M, दिनांक 29.09.2025) जारी किया गया है जिसके माध्यम से

अधिकारियों/कर्मचारियों को बताया गया कि वे आगे से 55% टिप्पणियाँ हिन्दी में ही लिखें।

(अनुपालन पूर्ण)

2.2-अनुभागीय हिन्दी तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा

पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में कार्यालय के जिन अनुभागों की हिन्दी तिमाही रिपोर्ट में कमियाँ पाई गई; उनकी समीक्षा की गई तथा उन कमियों को दूर करने के लिए संबंधित अनुभागों को पत्र (फाइल संख्या GEN/HIN/9/48/2022-A/M, दिनांक 01.10.2025) लिखा जा चुका है।

(अनुपालन पूर्ण)

2.3-अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में सहभागिता

पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में श्री कीर्तिकुमार एन. परमार, सहायक आयुक्त ने गांधीनगर गुजरात में आयोजित 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में आयुक्त कार्यालय आयात-I, मुंबई, अंचल-I की ओर से सफलतापूर्वक प्रतिभाग किया।

(अनुपालन पूर्ण)

2.4-डिस्प्ले बोर्ड के भाषाक्रम में सुधार

पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में सीमाशुल्क मुंबई अंचल-I के सामने और पीछे वाले मध्य प्रवेश द्वार पर लिखित 'INDIAN CUSTOMS MUMBAI / भारतीय सीमाशुल्क मुंबई' के भाषाक्रम को सही (हिन्दी पहले, अंग्रेजी बाद में) कर दिया गया है। अब दोनों बोर्डों में "भारतीय सीमाशुल्क मुंबई/INDIAN CUSTOMS MUMBAI" लिख दिया गया है, जोकि राजभाषानियमानुसार सही है।

(अनुपालन पूर्ण)

3-वर्तमान बैठक में लिए गए निर्णय

वर्तमान बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया तथा उन पर लिए गए निर्णयों का विवरण इस प्रकार है।

3.1-हिन्दी तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा

समीक्षा में हमारे कार्यालय की हिन्दी टिप्पणी की प्रतिशतता में कमी पाई गई, जिसपर अध्यक्ष महोदय ने असंतोष व्यक्त करते हुए आगे से 55% या उससे ज्यादा हिन्दी टिप्पणी लिखने के निर्देश दिए। अनिवार्य रूप से सभी फ़ाइलों व सभी टिप्पणियों में हिन्दी शब्दों का प्रयोग किया जाए। हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। सभी पत्र अनिवार्य रूप से हिन्दी या द्विभाषी में जारी किया जाए। हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए एक आदेश जारी किया जाए।

(कार्यवाही: समस्त अनुभाग)

3.2-धारा 3(3) का द्विभाषीकरण

यह निर्णय लिया गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3(3) के दस्तावेज़ों जैसे सामान्य आदेशों, अधिसूचना, करार, संकल्प, अनुज्ञप्ति, संविदा आदि को अनिवार्य रूप से द्विभाषी में अर्थात हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में जारी किया जाए।

(कार्यवाही: समस्त अनुभाग अनुभाग)

3.3-हिन्दी तिमाही रिपोर्ट के नए प्रोफ़ार्मे पर विमर्श

समिति के संज्ञान में लाया गया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तदुपरांत DGPM नई दिल्ली ने हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफ़ार्मा में कुछ संशोधन करते हुए नया प्रोफ़ार्मा जारी किया है; आगे से इसी प्रोफ़ार्मे में रिपोर्ट भेजा जाएगा। समिति ने निर्णय लिया कि इस नए प्रोफ़ार्मे को कार्यालय के सभी अनुभागों में परिचालित किया जाए ताकि सभी इससे रूबरू हो सके। इस निर्णय के अनुपालन में हिन्दी रिपोर्ट के नए प्रोफ़ार्मे को कार्यालय के सभी अनुभागों एवं समूहों में परिचालित कर दिया गया है।

(अनुपालन पूर्ण)

3.4-अन्य बिन्दु एवं सुझाव

इस बिन्दु पर अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि राजभाषा नियमानुसार टिप्पणी एवं पत्र (मसौदे) हिन्दी में लिखे जाएं। लक्ष्य से भी ज्यादा कार्य हिन्दी में किया जाए। टिप्पणी व मसौदा लेखन कार्य करते समय अनिवार्य रूप से सभी भौतिक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाए; हिन्दी भाषा लिखने के लिए ई-ऑफिस में विद्यमान कंठस्थ यूटिलिटी, क्विक नोटिंग का प्रयोग किया जाए और हिन्दी टायपिंग के लिए युनिकोड, हिन्दी फनेटिक, गूगल इनपुट टूल, वाइस टायपिंग आदि प्रयोग किया जाए; और हिन्दी अनुवाद व हिन्दी भाषा शब्दों का प्रयोग बढ़ाने के लिए गूगल ट्रांस्लेट एवं अनुवाद हेतु अन्य ऑनलाइन वेबसाइटों एवं ऐप्स का प्रयोग किया जाए।

(कार्यवाही: समस्त अनुभाग)

अंत में सदस्य सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
इसे आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-I) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Digitally signed by
Kirtikumar Parmar
Date: 25-11-2025
13:37:41

(कीर्तिकुमार एन. परमार)
सहायक आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-I)/राजभाषा

प्रतिलिपि:-

1-मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सादर सूचनार्थ।
2-आयुक्त (आयात-I), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सादर सूचनार्थ।
3-समस्त अपर/संयुक्त आयुक्त (आयात-I), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
4-समस्त उप/सहायक आयुक्त (आयात-I), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
5-मुख्य लेखाधिकारी (आयात-I), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
6-समस्त अनुभाग (आयात-I), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
7-सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ।
8-सहायक निदेशक/राजभाषा, DGPM, नई दिल्ली, को अनुपालन रिपोर्ट के रूप में प्रेषित। (म.सं.-2)
9-ई.डी.आई, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।